

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
खाद्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
बोटासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
क्रमांक संख्या- 399/2019

मनोज कुमार पुत्र विशम्बर दास जाति खत्री साकिन पुरानी आबादी श्रीगंगानगर
तहसील व जिला श्रीगंगानगर। वादी

बनाम्

1. प्रेमलता पत्नी अशोक कुमार पुत्री विशम्बर दास वार्डनं 0 17 हुड्डा कालोनी ऐलनाबाद
तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

2. कमलेश पुत्री रामप्रकाश पत्नी सोहनलाल बेदी निवासी जवाहर नगर, श्रीगंगानगर
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. निर्मला देवी पुत्री रामप्रकाश पत्नी विशम्बर जाति खत्री निवासी श्रीगंगानगर तहसील
व जिला श्रीगंगानगर। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कर्टई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रतनलाल शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री
महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व
डिग्री दी जाती है कि चकनं 0 3 आर.के खाता सं 0 65 में रामप्रकाश व कौशल्या के
नाम से दर्ज कुल 1.265 है 0 कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 0 1 को 1/3 हिस्सा
ब 0 हि 0 ब 0 के तथा प्रतिवादी सं 0 2 को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 0 3 को 1/3
हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में
अंकन कर चकनं 0 3 आर.के खाता सं 0 65 में रामप्रकाश व कौशल्या का नाम
कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन
किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुद्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17/12/19.....को जारी
किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी